

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 1001/2021

निर्णय दिनांक :- 18/11/21

उनवानी प्रार्थना पत्र :

श्री. प्र. प्र. का. श. र. बनारस तहसीलदार

देवली

उपस्थिति :-

ना. प्र. र.

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेख देखने पर एकट

:: आदेश ::

प्रार्थी श्री. प्र. प्र. का. श. र. पु. ज. देवली ने निवासी पत्कला ने प्रशासन गांवो के संघ 2021 केम्प / न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि कम्प के ग्राम प. अ. ब. ल. का जमाबंदी सम्वत् 2021-22 के खाता संख्या 411/19 से दर्ज प्रार्थी का नाम राम. प्र. का. श. र. पु. ज. देवली के स्थान पर श्री. प्र. प्र. का. श. र. पु. ज. देवली

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार देवली से कराई गई। तहसीलदार देवली ने पटवार हस्का प. अ. ब. ल. व भू030नि0 प. अ. ब. ल. की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंघा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वारसविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व गुण -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक-4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार देवली को वाके ग्राम प. अ. ब. ल. जमाबंदी सम्वत् 2021-22 के खाता संख्या 411/19 से दर्ज राम. प्र. का. श. र. पु. ज. देवली के स्थान पर श्री. प्र. प्र. का. श. र. पु. ज. देवली दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार देवली को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प प. अ. ब. ल. में सुनाया गया।

18/11/21
उपखण्ड अधिकारी
देवली